

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-571 / 2009  
संस्थित दिनांक-30.10.2009  
फाइलिंग क्र.234503000562009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

देवरत पिता सूरजलाल भौतेकर, उम्र-26 वर्ष,  
निवासी-ग्राम कटंगी थाना बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- आरोपी

-----  
// निर्णय //

(आज दिनांक-27/06/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं 304ए भा. द.वि. के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-23.09.2009 को समय 8:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम झारा पुलिया के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी-50/एम.बी-6471 हीरोहोण्डा मोटर सायकिल को उपेक्षापूर्वक व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत अब्दुल खान की सायकिल को ठोकर मारकर उपहति कारित किया तथा मृतक दीपक की मृत्यु ऐसी कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रवि मिश्रा को रोजनामाचा सान्हा क्रमांक-945 पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना अनुसार मोटरसाईकिल से आरोपी देवरत निवासी कटंगी, अब्दुल खान निवासी आबकारीटोला की किसी साईकिल वाले से ग्राम झारा में दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में आहत दीपक की मृत्यु हो गई है। वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.बी-6471 आरोपी देवरत चला रहा था, जिसके लापरवाहीपूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाने से दुर्घटना हुई थी। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-45/09, अंतर्गत धारा-279, 337, 304ए भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-23.09.2009 को समय 8:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम झारा पुलिया के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी-50/एम.बी-6471 हीरोहोण्डा मोटर सायकिल को उपेक्षापूर्वक व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अब्दुल खान की सायकिल को ठोस मारकर उपहति कारित किया?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मृतक दीपक की मृत्यु ऐसी कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-**

5— अभियोजन साक्षी अब्दुल खान(अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन देने के डेढ़ साल पहले की है, वह और आरोपी देवरत मोटर सायकिल से बैल खरीदी करने परसवाड़ा गये थे और परसवाड़ा से लौटते समय आरोपी देवरत मोटर सायकिल चला रहा था तथा वह पीछे बैठा था। ग्राम झारा के पास वे धीमी गति से आ रहे थे। मृतक सायकिल में था तथा तेज गति में था। मोटर सायकिल का लाईट पड़ने पर वह घबरा गया और घबराहट में दूसरी दिशा में सायकिल को मोड़कर रोड के डिवाइडर से टकरा गया, जिसे बचाने के प्रयास में उन लोगों की मोटर सायकिल दूसरी जगह गिर गई थी, जिससे उन्हें चोटें आई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। उसकी चोट के संबंध में उसका मुलाहिजा हुआ था।

6— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतक दीपक रोड के किनारे पुल से टकराने के कारण गिरा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उनके अलावा कोई अन्य उपस्थित नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब तक वे लोग घटनास्थल पर थे तब तक वहाँ पर कोई आया भी नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना होने के बाद भी वह होश में था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे घटना में हल्की-फुल्की खरौंच आई थी तथा ज्यादा चोट नहीं आई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि गाड़ी को उसी रात चलाते हुये बैहर थाने

में लाकर जमा कर दिया था।

7— अभियोजन साक्षी सवनीबाई (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी देवरत तथा मृतक दीपक को पहचानती है। मृतक दीपक उसका पुत्र था। घटना उसके कथन देने के 2 वर्ष पूर्व ग्राम झारा की है। शाम को 7:00 बजे उसके यहाँ का बछड़ा नहीं आया तो उसका लड़का सायकिल से गया था। उसका लड़का जब उसकी साईड से सायकिल में जा रहा था तब आरोपी ने मोटर सायकिल से उसे ठोकर मार दी थी, लोग दौड़े और उसे बुलाकर ले गए, तब वह और उसके पति भी घटनास्थल पर गये, फिर उसके लड़के को बैहर अस्पताल ऑटो में लाये थे। अस्पताल में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। उसे डॉक्टर ने मृत्यु का कारण नहीं बताया था। घटना आरोपी की गलती से हुई थी।

8— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गांव वालों के बताने पर वह घटनास्थल गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह गई तब उसका लड़का बेहोश था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना पुलिया के पास की है। साक्षी ने कहा है कि पुलिया पार हो गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यदि उसका लड़का सायकिल चलाते हुये पुलिया से टकरा गया हो तो इसकी उसे जानकारी नहीं है।

9— अभियोजन साक्षी बच्चूलाल (अ.सा.3) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। मृतक दीपक उसका पुत्र है। घटना उसके कथन से ढाई-तीन साल पूर्व उसके गांव झारा से थोड़े आगे पुल की है। 6-7 बजे उसके घर से गाय का पता लगाने के लिये दीपक सायकिल से गया था। सायकिल से जाने के बाद रास्ते में क्या हुआ जानकारी नहीं है। फिर बस्ती वाले आकर बताये कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मोहनसिंह ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, फिर वह और उसकी पत्नी दोनों गये जाकर देखा तो उसका लड़का बेहोश था फिर वह भी बेहोश हो गया, बस्ती वालों ने फोन किये तब थाने वाले आये और उसके लड़के को बैहर के सरकारी अस्पताल लेकर गये जहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना होते हुए उसने स्वयं नहीं देखी।

10— अभियोजन साक्षी सुलखेदास (अ.सा.4) ने कहा है कि वह मृतक दीपक को जानता है तथा आरोपी को घटना समय से पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व शाम के साढ़े सात-आठ बजे ग्राम झाराखेड़ा में पुल सड़क मार्ग की है। वह घटना के समय तिवारी के साथ सड़क पर टहल रहा था और जोर से आवाज आई तो वह दौड़ कर पुल के पास गया तो देखा कि मोटर सायकिल अलग पड़ी थी और आरोपी और एक अन्य व्यक्ति अलग था और दीपक भी गिरा पड़ा था। उसके पश्चात बैहर बस

स्टैण्ड से ऑटो लेकर गया था और तिवारी मृतक दीपक के घर बताने गया था। उसके बाद वह ऑटो में तीनों आहतगण को बैहर अस्पताल लेकर आया था। आहत दीपक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। आरोपी की मोटर सायकिल परसवाड़ा से बैहर की तरफ धीमी गति से आ रही थी।

11— अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी की मोटर सायकिल परसवाड़ा से बैहर की तरफ जा रही थी और तेज गति से चल रही थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि मोटर सायकिल की गति तेज थी इसलिये दीपक की मृत्यु हो गई थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-1 का अ से अ भाग का बयान दिया था।

12— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पुलिया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि लाईट देखकर दीपक हड़बड़ाकर पुलिया से टकरा कर गिर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी दूसरी तरफ पुलिया से टकरा कर गिर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी है।

13— अभियोजन साक्षी तिवारी सिंह (अ.सा.5) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। मृतक दीपक को पहचानता था। घटना उसके कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व रात्रि 08 बजे झाराखेड़ा में सड़क के पुलिया के पास की है। उस समय वह सुलखेदास के साथ चौराहे में घूम रहा था। आवाज आने पर वह घटनास्थल पर गया था। आरोपी और उनके एक साथी मोटरसायकिल से गिर पड़े थे और मृतक दीपक भी गिर पड़ा था। आरोपी की मोटर सायकिल परसवाड़ा से बैहर तरफ धीमी गति से जा रही थी। वह दीपक की खबर बताने उसके घर गया था। मृतक दीपक की मृत्यु घटना के दिन ही हो गई थी। मृत्यु किस कारण से हुई थी मुझे नहीं मालूम है।

14— अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने एक्सीडेंट होते हुये नहीं देखा था। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर गया था तो दीपक पुलिया के एक हिस्से में गिरा था और आरोपी उसी पुलिया के दूसरे तरफ गिरे हुये थे। साक्षी ने इस सुझाव को

15— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर पुलिया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि लाईट देखकर दीपक हड़बड़ाकर पुलिया से टकराकर गिर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी दूसरी तरफ पुलिया से टकरा कर गिर



गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी है।

16— गणेशदास (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसके नाम पर पंजीकृत वाहन क्रमांक—एम.पी—50/एम.बी—6471 है, जिसे उसका छोटा भाई संजय बाजार लेकर गया था। उसके पश्चात् वाहन कौन लेकर गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। रात को उसे जानकारी हुई थी कि उसकी मोटरसाईकिल से दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने उससे मोटरसाईकिल के दस्तावेज जप्त किये थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इसबात से इंकार किया कि उनके भाई संजय ने उसे बतायाथा कि उसने वाहन आरोपी देवरत को चलाने के लिए दिया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि मोटरसाईकिल से दुर्घटना होने से दुर्घटना में दीपक की मृत्यु होने की जानकारी हुई थी।

17— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 का अपराध किये जाने का अभियोग है। मौके पर उपस्थित साक्षी सुलखेदा का कहना है कि वह सड़क पर टहल रहा था। उसने आवाज सुनी तो घटनास्थल पर गया था और उसने देखा कि मोटरसाईकिल गिर पड़ी थी और मृतक दीपक भी सड़क पर गिरा हुआ था। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी मोटरसाईकिल को धीमी गति से चला रहा था। साक्षी तिवारी सिंह (अ.सा.5) के कथनों पर विचार किया जाए तो उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उसने अपने कथन में कहा है कि दुर्घटना के समय आरोपी तेज गति से वाहन नहीं चला रहा था। यहां महत्वपूर्ण यह है कि अभियोजन साक्षी सुलखेदास (अ.सा.4), तिवारीसिंह (अ.सा.5), बच्चूलाल (अ.सा.3), सवनीबाई (अ.सा.2) जो मौके पर उपस्थित थे, उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखने की बात अपने न्यायालयीन परीक्षण में स्वीकार किया है। इस प्रकार दुर्घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया जा रहा हो यह बात अभिलेख पर प्रकट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

### विचारणीय बिन्दु क्रमांक—2 व 3 का निष्कर्ष :—

18— आरोपी के विरुद्ध आहत अब्दुल खान को साधारण उपहति कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 तथा मृतक दीपक की मृत्यु कारित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304ए का अपराध किये जाने का अभियोग है।

19— डॉ. मूरतसिंह (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—23.09.2009 को मोबाईल यूनिट बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसकी शासकीय अस्पताल बैहर में ड्यूटी लगी थी, उस दौरान पुलिस द्वारा पेश करने मृतक

दीपक वल्द बच्चुलाल के शव की जांच की थी तथा उसे मृत घोषित किया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20— रवि मिश्रा (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-23.09.2009 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक-945, दिनांक-23.09.2009 की जांच पर मार्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी-5 लेख किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-45/2009, 279, 337, 304ए भा.द. वि. आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी-6 लेख किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान दिनांक-24.09.2009 को घटना स्थल का जनजी नक्शा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बंटी उर्फ संजय, बच्चूलाल, सवनीबाई, तिवारीसिंह, सुलखेदास, गणेश के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से मोटरसाईकिल क्रमांक-एम. पी-50/एम.बी-6471 क्षतिग्रस्त हालत में एवं एक साईकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 अनुसार जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गणेश से वाहन का रजिस्ट्रेशन साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा मोटरसाईकिल का विधिवत् परीक्षण कराकर रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने सारी विवेचना की कार्यवाही थाने पर बैठकर अपने मन से की थी।

21— अभियोजन साक्षी नान्हूसिंह पन्ने (अ.सा.11) एवं कद्दूस खान (अ.सा.10) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उपरोक्त साक्षी वाहन क्रमांक-एम. पी-50/एम.बी-6471 के मैकेनिकल परीक्षण से परिक्षित साक्षी है।

22— बचाव पक्ष का यह आधार नहीं है कि दुर्घटना नहीं हुई थी और मृतक दीपक की मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई थी। अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा. 7) ने मृतक दीपक की मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। इसी प्रकार अब्दुल खान को भी दुर्घटना में चोट नहीं आई थी, यह बात सिद्ध करने के लिए आहत अब्दुल खान के विषय में कोई भी चिकित्सीय रिपोर्ट अभिलेख में प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 में यह प्रमाणित नहीं पाया गया कि दुर्घटना आरोपी देवरत द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाने से आहत अब्दुल खान को आई चोट के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपी भारतीय दण्ड संहिता की

धारा-337, 304 ए के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

23— प्रकरण में आरोपी दिनांक-03.07.2012 से दिनांक-19.11.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक् से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

25— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.बी-6471 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार गणेश भासन्त पिता किसन भासन्त निवासी कम्पाउण्डरटोला, थाना बैहर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / -

बैहर,  
दिनांक-27.06.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट